न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : विश्राम मीणा, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 02/2018

अपीलार्थी–	*बनाम*	उत्तरदाता--
मोहनलाल पुत्र सोनाराम जाति माली निवासी मालियों की ढाणी, पटवार मण्डल रेवाड़ा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर		राज्य सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 25.10.2017 जो प्रकरण सं. 52/2017 मे तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री अमित कुमार धनदे, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. सरकारी पैरोकार, उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 16.09.2020

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रकरण सं. 52/2017 सरकार बनाम मोहनलाल मे पारित निर्णय दिनांक 25.10.2017 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि पटवारी हल्का रेवाड़ा द्वारा तहसीलदार पचपदरा के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मालियों की ढाणी के खसरा नम्बर 478/262 रकबा 30-13 बीघा किस्म बारानी अव्वल सरकारी भूमि मे से 16-00 बीघा भूमि पर गैर सायल मोहनलाल द्वारा बाजरी की फसल बो कर अतिक्रमण कर लिया है जो अवैध है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावें। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, के अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायल को जरिये

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishi Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:45:29 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर बाड़मेर

नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। गैर सायल दौरान सुनवाई अनुपस्थित रहने से तहसीलदार पचपदरा द्वारा गैर सायल को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 25.10.2017 के द्वारा 200/– रूपये जुर्माना अधिरोपित कर भूमि से बेदखल करने एवं मौके पर खड़ी फसल नीलाम करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने दिनांक 26.12.2017 को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है। इसके साथ ही अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

3. अपीलांट की अपील पर मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना आनन–फानन मे प्रकरण का निस्तारण कर दिया तथा अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली का आदेश पारित कर दिया गया। उक्त आदेश पारित करने मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी न्यायिक कार्यवाही व किसी भी प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित करने से पूर्व सम्बन्धित हितबद्ध व प्रभावी पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप आवश्यक एवं न्यायोचित है।

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस उसे तामील नहीं हुआ [illegible] कि हल्का पटवारी द्वारा सूचना दिये जाने पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ तथा विस्तृज जवाब प्रस्तुत किया । इसके बावजूद अधीनस्थ न्याया[illegible] द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में अपीलांट्स की अनुपस्थिति दर्ज करते हुए अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:45:29 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते
जिला कलेक्टर
बाड़मेर

तौर पर जारी कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण मे विषय वस्तु के सम्बन्ध मे कोई साक्ष्य सबूत व दस्तावेज अभिलेख पर नही लिये गये तथा केवल हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। अपीलांट का मुतनाजा भूमि पर वक्त सैटलमेंट से कब्जा–काश्त चला आ रहा है तथा अपीलांट के पास रहवास व कब्जा चला आ रहा है तथा उक्त भूमि के अलावा अपीलांट के पास अन्य भूमि नहीं है। अपीलांट ने उक्त खसरे की भूमि को आवंटन एवं नियमन कराने हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे है जिसकी जानकारी हल्का पटवारी एवं तहसीलदार पचपदरा को होने के बावजूद अपीलाधीन कार्यवाही संस्थित कर आलौच्य आदेश बेदखली का पारित किया है जो अपास्त व निरस्त योग्य है।

6. अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा यह भी प्रकट किया गया हैं कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट की अनुपस्थिति में बिना उसकी सुनवाई किये पारित किया गया हैं जिसकी जानकारी अपीलांट को दिनांक 24.11.2017 को हल्का पटवारी से पूछताछ के बाद नकलें प्राप्त करने पर हुई तथा जानकारी हो जाने के बाद सम्यक् तत्परता से अन्दर मयाद यह अपील प्रस्तुत की गई हैं किन्तु जानकारी के अभाव में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा कर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावें तथा उपर्युक्त आधार पर अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय को अपास्त किये जाने का आदेश फरमावें।

7. रेस्पोडेंट की ओर से जवाब मे पैरोकार सरकार ने प्रकट किया है कि अपीलांट के विरूद्ध हल्का पटवारी की ओर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा ग्राम मालियों की ढाणी के खसरा नम्बर 478 / 262 रकबा 30–13 बीघा किस्म बारानी अव्वल सरकारी भूमि मे 16–[illegible] बीघा भूमि पर बाजरी बोई जाकर अवैध अतिक्रमण कर कब्जा किया गया है, इस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही संस्थित कर अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। दौरान सुनवाई स्वंय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:45:29 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते
जिला कलक्टर
बाड़मेर

अपीलांट जानबूझकर उपस्थित नही हुआ तथा न ही इस अपील मे भी कोई ठोस आधार प्रकट किये गये हैं, जबकि वास्तविकता यह हैं कि अपीलांट ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया हैं तथा इसके प्रतिरक्षण स्वरूप कोई साक्ष्य–सबूत नहीं है। इस पर अपीलांट पर जुर्माना अधिरोपित करते हुए सरकारी भूमि से बेदखल करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया विधि अनुकूल एवं उचित है, लिहाजा अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाए।

8. हमने दोनो पक्षों के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने इस अपील के द्वारा ग्राम मालियों की ढाणी के खसरा नम्बर 478/262 किस्म बारानी अव्वल भूमि पर वक्त सैटलमेंट कब्जा–काश्त व अधिपत्य होना प्रकट किया है, तथा इसके समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संवत् 2034 अर्थात् सन् 1977 से लगातार वर्षों की खसरा परिवर्तनशील की प्रतिलिपियां प्रस्तुत की गई हैं इससे यह साबित हों कि अपीलांट का कब्जा लम्बे समय से चला आ रहा हैं। इसके अलावा जहां तक अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उसे नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने का प्रश्न है तो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई दिनांक 25.10.2017 को अपीलांट ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा निवेदन किया कि न्यायहित मे उसे अहम दस्तावेज एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का माकूल समय प्रदान किया जावें। इसके बावजूद भी इसी दिन अपीलाधीन आदेश पारित किया गया हैं तथा निर्णय एवं आदेशिका में अपीलांट की अनुपस्थिति दर्शायी गई हैं। इसके पश्चात दिनांक 30.10.2017 को अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर विस्तृत जवाब एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं जिसे भी पत्रावली में सम्मिलित किया गया हैं किन्तु अभिलेख पर नहीं लिया गया हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आनन–फानन मे बिना विधि प्रक्रिया का पालन किये एवं अपीलांट की अभिलेख पर उपस्थिति होते हुए भी अनुपस्थिति दर्शाई जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। किसी भी न्यायिक कार्यवाही में

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:45:29 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी के रूप में शक्तियों के दुरूपयोग एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का उल्लंघन का इससे बेहतर कोई उदाहरण नहीं हो सकता हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय मुद्रित फॉर्मेट में हस्तलिखित प्रविष्टियां भरकर तथा उसमें भी कई तरह से कांट–छांट कर जारी किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित सरकारी भूमि पर अपीलांट द्वारा अपने आधिपत्य हक अधिकार के बाबत प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेजों पर कोई विवेचन नही किया है, ऐसे मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय प्रक्रियात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण एवं अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं करने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित होने से बहाल रखे जाने योग्य नहीं हैं।

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.10.2017 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण पुनः तहसीलदार पचपदरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि अपीलांट के विरूद्ध जारी नोटिस अन्तर्गत धारा 91 आर0एल0आर एक्ट पर अपीलांट को जवाब एवं साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से प्रकरण का निस्तारण करें।

10. आदेश आज दिनांक 16.09.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(विश्राम मीणा)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:45:29 IST
Reason: SelfAttested